सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 202/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–20.09.2024

उनवान

1. मदनलाल आ0 किशना जाति रेगर निंवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सांवला आ0 किशना जाति रेगर निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रमेश आ0 किशना जाति रेगर निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. लाडबाई पत्नी किशना जाति रेगर निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. कन्या बाई पुत्री किशना जाति रेगर निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. कमला बाई पुत्री किंशना जाति रेगर निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतिराम आ0 ओंकार जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।
3. कैलाश बाई पुत्री मांग्या जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. जगदीश पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. जगन्नाथ पुत्र हुक्मा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. दुर्गालाल पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. प्रताप पुत्र नंदा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. पांचू पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. मदन पुत्र हुक्मा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. रामकुंवार पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. शोराज पुत्र नंदा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
12. शोराम पुत्र हुक्मा जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
13. हरदेव पुत्र मांग्या जाति मीणा निवासी गोकुलपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– चन्द्रप्रकाश जैन अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13

आदेश

दिनांक : 30.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1734/72 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के समीप सिवायचक भूमि खसरा संख्या 72 व खसरा संख्या 1 है जिसकी स्वामी राज्य सरकार है, लेकिन उक्त भूमि सिवायचक होने से सिवायचक भूमि की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अप्रार्थीगण दखलंदाजी करते है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाकर स्थायी तारपेंसिंग करवाना चाहते है ताकि सीमाओं के संबध में किसी प्रकार का विवाद न हो। भूमि खसरा संख्या 40 व 42 के खातेदार अप्रार्थीगण 3 लगायत 13 आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण पडौसियों से किसी प्रकार का विवाद नही रखना चाहता है और अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा कर अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करवाना चाहता है इस कारण प्रार्थीगण के समक्ष पत्थगरढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थीगण ने पडोसी काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 13 से दिनांक 20.05.2024 को आपसी सहमति से भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने से व सहमति देने से इंकार हो गये। यही प्रार्थना प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थीगण ने पूर्व में उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था जिस पर पटवारी हल्का मौके पर आये थे लेकिन अप्रार्थीगण के द्वारा विवाद करने पर भूमि का सीमाज्ञान नहीं हो पाया और पटवारी साहब द्वारा पत्थरगढी का आदेश लाये बिना नाप करने से इंकार कर दिया था इस कारण भी प्रार्थीगण के समक्ष अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी करवा कर अपनी भूमि की सीमओं को सुरक्षित करने का पूर्ण हक अधिकर प्राप्त है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करने तो तत्पर है। प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र में पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण की उपस्थिति प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी की जानी है इसलिए भूमि खसरा संख्या 40, 42 के मृतक सहखातेदार प्रहलाद पुत्र नंदा मीणा के अन्य सहखातेदारों के पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र से मृतक सहखातेदार के वारिसान के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। श्रीमान को लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से प्रार्थी की भूमि के पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने के अधिकार प्राप्त है। भूमि ग्राम गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थिति श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है व उचित फीस व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1734/72 रकबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम गोकुलपुरा की अप्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 13 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम गोकुलपुरा में होना स्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं सीमाओं पर कब्जा करने, शांतिभंग करने पर आमादा होते है। बाकि तथ्य अन्य आक्षेप में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का निवेदन करने पर अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 13 ने प्रार्थीगण की एवं अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 40 व 42 की संयुक्त रूप स पत्थरगढी कराने के लिए कहा, लेकिन प्रार्थी इन्कार हो गये इस कारण प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अप्रार्थीगण आज भी सहमति से प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 1734/72 एवं अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 40 व 42 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने को तैयार है। ताकि दोनों पक्षकारों का विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो सके।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 192 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 192 के खसरा सं0 1734/72 रकबा 1.2950 है0 वाके ग्राम गोकुलपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446